चुनाव कार्यालय

# चुनाव उपनियम

1. प्रेस क्लब रामगढ़ के सत्र :– 2024–2026 के लिए नीचे अंकित पदो के लिए चुनाव प्रक्रिया :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| क. | अध्यक्ष | :– | एक पद |
| ख. | उपाध्यक्ष | :– | एक पद |
| ग. | सचिव | :– | एक पद |
| घ. | कोषाध्यक्ष | :– | एक पद |
| ड. | सह–सचिव | :– | एक पद |
| च. | कार्यकारिणी सदस्य | :– | दस पद |

2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के नामांकन पत्र शुल्क 1000/– रू0, कोषाध्यक्ष एवं सह–सचिव के नामांकन पत्र शुल्क 750/– रू0 एवं कार्यकारिणी सदस्य का नामांकन पत्र शुल्क 500/– रू0 जमा करके नामांकन पत्र प्राप्त करना होगा, जो किसी भी परिस्थिति में वापस नही होगा।
3. प्रेस कल्ब रामगढ़ के सचिव द्वारा प्राप्त सदस्यों की सूचि का प्रकाशन दिनांक 14/07/2024 को संध्या 06:30 बजे होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूचि का प्रकाशन दिनांक 26/07/2024 समय 06:30 संध्या की जाएगी।
4. चुनाव प्रक्रिया में वे ही सदस्य भाग ले सकेगें जो प्रेस क्लब, रामगढ़ के नियमित सदस्य होगें एवं जिनका नाम प्रेस क्लब, रामगढ़ के सदस्यता रजिस्टर में अंकित होगा एवं जिनका सदस्यता शुल्क प्रेस क्लब के बकाया सूची के अनुसार अद्यतन दिनांक 25/07/2024 समय रात्रि 07:30 बजे तक जमा होगा।
5. प्रस्तावक, समर्थक एवं उम्मीदवार अपना बकाया शुल्क नामांकन के अंतिम दिन अर्थात 17/07/2024 को रात्रि 07:30 बजे तक जमा कर सकते है।
6. मतदाता अपना बकाया शुल्क 25/07/2024 को रात्रि 7:30 बजे तक जमा कर सकते है।
7. एक सदस्य, पदाधिकारी प्रत्याशियों के एक पद के एक सदस्य का प्रस्तावक एवं समर्थक हो सकेगा एवं कार्यकारिणी के 10 प्रत्याशियों का प्रस्तावक व समर्थक हो सकेगा उम्मीदवार अपने पद के अलावा अन्य पदो के लिए प्रस्तावक व समर्थक हो सकेंगे।
8. प्रस्तावक समर्थक एवं प्रत्याशी अपना पुरा नाम जिस नाम से प्रेस क्लब के सदस्य हैं नामांकन पत्र में देना आवश्यक होगा।

9. प्रस्तावक, समर्थक एवं प्रत्याशी को नामांकन पत्र में अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए।
10. प्रत्याशी को नामांकन पत्र मे स्टाम्प साईज की फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
11. चुनाव के लिए मतदान होने के स्थिति में प्रत्येक पद के लिए सर्वाधिक वैध मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे एवं विशम परिस्थिति में किसी प्रत्याशी को समान मत मिलते हैं तो वैसी स्थिति में लॉटरी (पर्ची) द्वारा निर्णय किया जाऐगा।
12. मतदान की स्थिति में प्रत्याशी 50 रू0 भुगतान के साथ मतदाता सूची प्राप्त कर सकेंगे।
13. चुनाव संबंधित जानकारी प्रेस क्लब रामगढ़ के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाऐगा, साथ ही प्रेस क्लब के वॉटशाप ग्रुप पर प्रेषित कर दिया जाऐगा फिर भी यदि किसी कारण वश चुनाव संबंधित सूचना किसी सदस्य को नही मिलती है तो चुनाव प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
14. किसी भी परिस्थिति में पुनः मतदान नहीं होगा, यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतगणना की प्रक्रिया को मतगणना समाप्त होने के आधा घंटा के अंदर लिखित में आपति दी जाती है तो उस प्रत्याशी को 10,000/– रू0 नगद समिति को जमा कर उस प्रत्याशी के पद के मतपत्रो की पुनः मतगणना की जा सकेगी।
15. चुनाव समिति अपने सुविधानुसार निष्पक्ष चुनाव कराने हेतू इसके अलावा भी किसी भी तरह का उपनियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगी।
16. मतदाता को मतदान के समय प्रेस क्लब, रामगढ़ द्वारा जारी पहचान पत्र अवश्य दिखाना होगा।
17. चुनाव समिति का निर्णय अंतिम होगा, उसको किसी भी न्यायालय या संवैधानिक पीठ के समक्ष चुनौती नही दी जा सकेगी।

**आनन्द अग्रवाल, (अधिवक्ता)**
मुख्य चुनाव पदाधिकारी
चुनाव समिति सत्र 2024–2026
मो0 नं0 935134551,7544063551